

शारीरिक दक्षता परीक्षा (PHYSICAL EFFICIENCY TEST):- राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार कारागार विभाग के स्थाई आदेश क्रमांक 22714 दिनांक 30.07.2024 संख्या 01/2024 के अनुसार निम्नांकित प्रावधान है:-

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की संख्या के (प्रवर्गानुसार) दस गुना तक सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) होगी। अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। PET में भाग लेने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना का प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में दौड़ हेतु मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जावेगा तथा इसके विरुद्ध कोई याचिका (APPEAL) दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के नियम 28 के प्रावधानानुसार कारागार विभाग के स्थाई आदेश क्रमांक 22714 दिनांक 30.07.2024 संख्या 01/2024 के अनुसार 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) ली जायेगी, जिसमें उन अभ्यर्थियों को अर्हक घोषित किया जावेगा जिन्होंने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में अर्जित किये हों, शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) निम्नानुसार होगी-

	परीक्षा	निर्धारित समय
पुरुष अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 25 मिनट
महिला अभ्यर्थी	5 कि.मी. दौड़	अधिकतम 35 मिनट

पूर्व सैनिक या केन्द्रीय पुलिस संगठन के पूर्व कार्मिक दक्षता परीक्षा से मुक्त रहेंगे।

निर्धारित समय में दौड़ पूरी करने पर ही अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा।

- आवेदकों को PET में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) एवं शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। उन्हें उपरोक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, सक्षम चिकित्साधिकारी के प्रमाण-पत्र के अभाव में उन्हें PET एवं PST में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
गर्भवती महिलायें सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र, कि वह गर्भवस्था के कारण PET/PST परीक्षा देने हेतु सक्षम नहीं है तथा अपने प्रार्थना-पत्र सहित यदि स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होती है, तो स्क्रीनिंग समिति द्वारा प्रार्थना-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी को भिजवाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर PET/PST परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अतिरिक्त समय (प्रसव से 02 माह तक का) प्रदान किया जाएगा, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी को प्रसव होने के 02 माह के भीतर PET/PST करवाने के लिए प्रार्थना-पत्र देना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में अभ्यर्थी की पात्रता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- स्क्रीनिंग समिति प्रतिदिन दौड़ आयोजित करने से पूर्व, मैदान की स्थिति का उचित निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। मैदान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(B) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा

(I) राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998, के नियम 18(2) एवं 18(2) के उप नियम (i) (ii) (iii) के प्रावधानानुसार शारीरिक माप तौल निम्नानुसार होना चाहिये:-

पुरुष अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 168 सेमी.
	सीना	विशेष न्यूनतम 86 सेमी.
		फूलाने पर 86 सेमी.

(सीने का कम से कम फुलाने 5 से.मी.)

Signature valid

Digitally signed by Bhag Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved

महिला अभ्यर्थी	ऊँचाई	न्यूनतम 152 से.मी.
	वजन	न्यूनतम 47.5 कि.ग्रा.

उपरोक्त की विडियोग्राफी करायी जाएगी।

नोट:- उपरोक्त वर्णित मानदण्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5 सेमी. तक की छूट देय है। गढ़वाली, गोरखा एवं पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों की ऊँचाई 158 सेमी. से कम नहीं होनी चाहिए। उपरोक्त छूट के लिए संबंधित दस्तावेज साथ में लाना अनिवार्य होगा।

- (II) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) होगी। शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) उपरोक्त वर्णित बिन्दु B (I) के अनुसार की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को ऊँचाई व सीने के माप तथा महिला अभ्यर्थियों की ऊँचाई व वजन के माप हेतु बुलाया जायेगा।
- (III) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को उनके माप से अवगत कराकर उनके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अभ्यर्थी यदि हस्ताक्षर करने से मना करता है तो इस बाबत स्क्रीनिंग समिति द्वारा टिप्पणी अंकित की जाएगी। स्क्रीनिंग समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि जो अभ्यर्थी PST में छूट प्राप्त कर उत्तीर्ण हो रहा है, उसे भी पूर्ण रूप से सूचित करेंगे तथा उसके हस्ताक्षर लेंगे।
- (IV) निर्धारित माप तौल पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जायेगा।
- (V) **शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में अपील का प्रावधान:-**

- (a) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (PST) में असफल अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपील करने का एक अवसर प्रदान किया जावेगा। शारीरिक मापदण्ड में असफल रहे असन्तुष्ट अभ्यर्थी स्क्रीनिंग समिति के समक्ष निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नकद रुपये 500/- शुल्क जमा कराकर उसी दिन अपील कर सकते हैं, जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धित को दी जावेगी। अभ्यर्थी यदि अपील के बाद शारीरिक मापदण्ड परीक्षा में सफल होता है तो उससे लिया गया शुल्क वापिस करते हुए उसे चयन प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। असफल रहने की स्थिति में यह शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- (b) उपरोक्त अपील की क्रियान्विति के लिए स्क्रीनिंग समिति के साथ राजकीय चिकित्सकों का मेडिकल बोर्ड रहेगा, अपील पर कार्यवाही उसी दिन पूर्ण की जायेगी तथा समस्त अपील के दस्तावेजों पर मेडिकल बोर्ड एवं स्क्रीनिंग समिति के हस्ताक्षर मय सील होंगे।
- (C) स्थानीय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सम्बन्धित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष मेडिकल बोर्ड का गठन करायेगा। PST के दिन ही गठित मेडिकल बोर्ड से शारीरिक माप करवाया जायेगा तथा यह माप अन्तिम माना जायेगा।
- (d) बोर्ड के समक्ष अपील किये जाने वाले अभ्यर्थियों की कार्यवाही की स्पष्ट विडियोग्राफी होगी तथा बोर्ड प्रोसेडिंग के साथ अलग से परिशिष्ट होगा, जिसमें अपील करने वाले प्रार्थी की पूर्ण सूचना होगी। अपील के पश्चात् हुई माप पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे।
- (e) शारीरिक माप के बाद प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass With Relaxation) एवं बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass Without Relaxation) अंकित होगा।

नोट:-शारीरिक मापदण्ड परीक्षण की अपील के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

दृष्टि(Eye sight):- सभी अभ्यर्थियों के लिए दृष्टि संबंधी मानदण्ड निम्न हैं-

Vision	बिना चश्मे के		चश्मे सहित	
	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि
दूर की	6/6	6/60	6/6	6/13
निकट की	J 5	J 5	J 5	J 5

टिप्पणी- (1) निकट दृष्टि (Myopia) 5 D से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) मौलिक रंगों (Colour Blindness) में विभेद न कर पाना और/ या रात्रि का अन्धापन(रतौंधी)(Night Blindness) यदि हो तो अनर्हता समझी जावेगी।

(3) किसी भी रूप में स्पष्ट भैगापन(Squint) होने से अभ्यर्थी अनर्हक हो जायेगा।

RajKaj Ref
12376582

Signature valid

Digitally signed by Bhagy Chand Badhal
Designation : Secretary
Date: 2024.12.11 18:55:48 IST
Reason: Approved